WEBSITE UPLODATION

दूरभाष : ०७६६२-२५७१०९
Tele : 07662-257109
फैक्स/Fax : 07662-254803
E-mail : info.ssrewa@gmail.com

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सैनिक स्कूल रीवा
Sainik School Rewa
मध्य प्रदेश-४८६००१
Madhya Pradesh-486001

एसएसआर/१२२५/पीसी/प्रशिक्षण
SSR/1225/PC/Trg

13 फरवरी २०२२
Feb 2022

समस्त अभिभावक
(कक्षा–9वीं एवं 11वीं)
(कक्षा–10वीं के जो छात्र अभी तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं।)

अभिभावक पत्रक : विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में

प्रिय अभिभावक/संरक्षक,

1. निम्नलिखित पत्रों के सन्दर्भ में :–

(क) विद्यालय के पत्र क्रमांक एसएसआर/1225/पीसी/प्रशिक्षण दिनांक 21 अक्टूबर 2021.

(ख) अभिभावक शिक्षक बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2021.

(ग) मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग के पत्र क्रमांक एफ 35–09/2020/दो/सी–2 भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2022.

(घ) विद्यालय के पत्र क्रमांक एसएसआर/1225/पीसी/प्रशिक्षण दिनांक 14 जनवरी 2021.

(ङ) स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 44–4/2020/20–2 दिनांक 31 जनवरी 2022 (छायाप्रति संलग्न)।

(च) मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल आदेश क्रमांक एफ 35–09/2020/सी–2/दो दिनांक 11 फरवरी 2022 (छायाप्रति संलग्न)।

(छ) मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 44–4/2020/20–2 भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2022 (छायाप्रति संलग्न)।

(ज) बकाया शुल्क सूची दिनांक 31 जनवरी 2022.

(झ) पोस्ट–मिड/पीरियोडिक टेस्ट/यूनिट टेस्ट हेतु विद्यालय का परिपत्र क्रमांक 03/प्रशिक्षण/2022 दिनांक 28 जनवरी 2022.

2. मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार कक्षा–9वीं एवं 11वीं के छात्रों के लिए भौतिक रूप से कक्षाएं प्रारम्भ किए जाने का निर्णय लिया गया है। अन्य शेष कक्षाएं केवल ऑनलाईन माध्यम से निर्धारित समय–सारणी के अनुसार संचालित होती रहेंगी और साथ ही कक्षा–9वीं एवं 11वीं की भी कक्षाएं भौतिक तथा ऑनलाईन दोनों माध्यमों से संचालित की जाएंगी।

3. कक्षा–9वीं एवं 11वीं तथा कक्षा–10वीं के जो छात्र अभी तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं, वे छात्र **दिनांक 21 फरवरी 2022** को भौतिक रूप से उपस्थित होते समय निम्न बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित करेंगे :–

(क) छात्र जिनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक हैं, वे अपने साथ कोविड वैक्सीन के टीकाकरण का प्रमाण पत्र साथ में लेकर आवें।

क्रमशः ..2..

(ख) सभी छात्र अपने साथ RTPCR (72 घण्टे के अन्दर जांच की गई) की निगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आवें।

(ग) छात्र वेबसाईट पर उपलब्ध बकाया शुल्क की जानकारी के अनुसार अपनी शुल्क जमा करके डिपोजिट रसीद साथ में लेकर आना अनिवार्य है।

(घ) दिनांक 28 फरवरी 2022 को एनसीसी ए–सर्टीफिकेट की परीक्षाओं का संचालन किया जाएगा। जिन छात्रों को पूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए विद्यालय से निलम्बित किया गया है, वे छात्र अपनी स्वयं की व्यवस्था से विद्यालय परिसर के बाहर रहकर उक्त परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही जिन छात्रों को विद्यालय खुलने तक निलम्बित किया गया था, उनकी उपस्थिति अपने अभिभावकों के साथ अनिवार्य है। अभिभावकों के बिना आने वाले निलम्बित छात्रों को विद्यालय में उपस्थित नहीं कराया जाएगा।

(ङ) कक्षा–11वीं के जो छात्र मिड–टर्म परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे, विद्यालय द्वारा उनकी मिड–टर्म की परीक्षा भौतिक रूप से संचालित कराई जाएगी, जिसमें उनका सम्मिलित होना आवश्यक है। साथ ही कक्षा–9वीं से 11वीं की समस्त पोस्ट–मिड/पीरियोडिक टेस्ट/यूनिट टेस्ट की परीक्षाएं भौतिक रूप से ही होंगी। इन परीक्षाओं का संचालन ऑनलाईन नहीं किया जाएगा।

(च) अभिभावक/संरक्षक की ओर से उनके पुत्र/पाल्य की विद्यालय में उपस्थिति का सहमति प्रपत्र मय हस्ताक्षर विद्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य होगा। सहमति पत्र का प्रारूप **संलग्नक–1** में वर्णित है। साथ ही ऑनलाईन कक्षायें भी समानान्तर रूप से संचालित होगी।

(छ) जिन कैडेट्स में कोविड–19 के लक्षण हो एवं जो कैडेट्स चिकित्सकीय सहायता ले रहे हो, उन्हें विद्यालय में उपस्थित नहीं होना है। इसी तरह जो कैडेट्स वर्तमान कन्टेनमेन्ट जोन **(Containment Zones)** से आते हैं, उन्हें भी विद्यालय में उपस्थित नहीं होना है, जब तक कि वह स्थान राज्य सरकार/जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षित जोन में अधिसूचित नहीं हो जाता है।

(ज) कैडेट्स के साथ कोई एक अभिभवक/संरक्षक यात्रा करें। इससे ज्यादा की संख्या के लिए विद्यालय अनुमति नहीं देगा। यदि वे वाहन लेकर विद्यालय में प्रवेश करते हैं, तो विद्यालय के द्वारा बताये गये स्थान पर वाहन खड़े। अभिभावक/संरक्षक को कैडेट्स के साथ छात्रावास में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

(झ) कैडेट्स को यह ध्यान रखना होगा कि उनके द्वारा जो भी वस्तुयें लगातार उपयोग में लाई जा रही हैं, उसे लगातार सेनीटाईज करते रहें तथा कॉपी–किताब, पठन–पाठन सामग्री एवं खाद्य पदार्थ इत्यादि किसी भी अन्य कैडेट्स या व्यक्ति के साथ अदान–प्रदान न करें।

(ञ) कैडेट्स को सामाजिक दूरी, हैण्ड वॉश, मुँह ढका हुआ होगा/मास्क पहनना, स्वच्छता बनाये रखना एवं स्वयं की स्वच्छता हेतु सामग्री अपने पास होना आवश्यक है तथा उसके लिए बनाये हुए नियमों का पालन करना।

(ट) कैडेट्स को शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा विद्यालय परिसर, कक्षाओं, विद्यालय परिसर से बाहर आना–जाना प्रतिबन्धित रहेगा। अन्य कैडेट्स/कर्मचारियों से मेल–मिलाप भी प्रतिबन्धित रहेगा।

(ठ) कैडेट्स अपने पानी का बोतल स्वयं रखें तथा उसे किसी अन्य कैडेट्स/व्यक्ति के साथ न बांटे न ही किसी अन्य कैडेट्स/व्यक्ति के पानी का बोतल प्रयोग करें। सम्भव हो तो गरम पानी का व्यवहार करें।

(ड) किसी भी सार्वजनिक स्थान/आवागमन के स्थान पर थूंकना प्रतिबन्धित होगा तथा बच्चों को अपने कपड़े स्वयं धोने होंगे।

(ढ) यदि खांसी, छींक आती हैं तो उसके लिए रूमाल या अपने हाथ की कोहनी का उपयोग करें तथा सामाजिक दूरी का पालन करें।

(ण) किसी भी अन्य कैडेट्स को गले लगाना, हाथ मिलाना तथा किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री अपने पास रखना प्रतिबन्धित होगा। कैडेट्स अपने मुंह, आँख, चेहरे तथा नाक को बार–बार न छुंये एवं दरवाजा, हैण्डल, स्विच, रेलिंग इत्यादि को अनावश्यक बार–बार छूने की आवश्यकता नहीं है।

(त) कैडेट्स को विद्यालय द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा तथा कोविड–19 से अपने आपको किस तरह से सम्भाल कर रखना होगा, उसकी पूर्णतया जानकारी रखनी होगी।

(थ) विद्यालय में रहने के दौरान यदि किसी कैडेट्स को सर्दी, खांसी या बुखार लगता है तो वह तुरन्त नर्सिंग असिस्टेन्ट से सम्पर्क कर अपने हाऊस मास्टर को सूचित करें।

(द) छात्रावास में सामाजिक दूरी के अनुसार ही रहना है तथा कोविड–19 के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।

(ध) विद्यालय द्वारा बताए गए दिशा–निर्देश एवं विद्यालय परिसर, शैक्षणिक भवन एवं छात्रावास में विद्यालय द्वारा की गई व्यवस्थाओं का पालन कैडेट्स को आवश्यक रूप से करना है, अन्यथा विद्यालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा कोविड–19 के प्रोटोकॉल का पालन न करने की स्थिति में विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा।

9. अतः अभिभावकों / संरक्षकों से अनुरोध है कि वे अपने पुत्र / पालक को विद्यालय में भेजने से पहले उन्हें उपरोक्त वर्णित तथ्यों से पूर्णतया अवगत करायें तथा उन्हें कैसे सुरक्षित एवं स्वस्थ्य रहना है इसका प्रतिदिन की दिनचर्या में घर पर अभ्यास करायें, जिससे विद्यालय में उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

राजेश

(राजेश बैन्दा)
कर्नल
प्राचार्य

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :–

1.	निरीक्षण अधिकारी (एस) सैनिक स्कूल्स सोसायटी रक्षा मंत्रालय, कमरा नं. 101 डी–1विंग,सेना भवन,डीएचक्यू पीओ नई दिल्ली – 110 011	–	आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2.	कमान शिक्षा अधिकारी मुख्यालय मध्य वायु कमान, भारतीय वायु सेना बमरौली, प्रयोगराज – 211 012	–	वरिष्ठ प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी, (अध्यक्ष, स्थानीय प्रशासन मण्डल, सैनिक स्कूल रीवा) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3.	सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)	–	आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।

SSR/Trg/1225 (Parental Circular)/Amit

4.	आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर, भोपाल (म.प्र.)	—	आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5.	आयुक्त रीवा सम्भाग, जिला—रीवा (म.प्र.)	—	आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6.	जिलाध्यक्ष जिला—रीवा (म.प्र.)	—	आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला—रीवा (म.प्र.)	—	आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

::आदेश::

भोपाल, दिनांक 31.01.2022

क्रमांक एफ 44–4/2020/20–2:: कोविड 19 संक्रमण की तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय आदेश दिनांक 14.01.2022 द्वारा कक्षा से 01 से 12वीं तक के समस्त स्कूल एवं छात्रावास दिनांक 31.1.2022 तक पूर्णतः बन्द किये गये थे। राज्य शासन एतद् द्वारा इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रसारित करता है:–

1. कक्षा 01 से 12वीं तक के समस्त कक्षाएं विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगे।
2. कक्षा 8वीं 10वीं एवं 12वीं के शत–प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए छात्रावास संचालित किये जाए।
3. कक्षा 8वीं 10वीं एवं 12वीं के शत–प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए छात्रावास उपलब्ध कराने के उपरांत छात्रावास के 50 प्रतिशत क्षमता के अन्तर्गत शेष वची क्षमता में कक्षा 6वीं 7वीं 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों को भी छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि छात्रावास में 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक विद्यार्थी उपस्थित न हो।
3. विद्यालय/छात्रावासों में कोविड–19 के प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित किया जाए।
4. ऑनलाईन कक्षाएं पूर्ववत संचालित की जायेगी।
5. उक्त आदेश दिनांक 01 फरवरी 2022 से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

31/1/2022
(प्रमोद सिंह)
उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 क्र0 एफ 44–4/2020/20–2
भोपाल, दिनांक 31.01.2022

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
2. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल
3. उप सचिव, मुख्यसचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल

......निरन्तर....2

5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य/अनुसूचित जाति कल्याण/पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण/श्रम/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
6. आयुक्त, लोक शिक्षण/जनजातीय कार्य, म.प्र. भोपाल
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल
8. आयुक्त, जनसंपर्क, म.प्र. भोपाल
9. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भोपाल
10. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.
11. सचिव, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल/मदरसा बोर्ड, भोपाल
12. निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, म.प्र. भोपाल
13. संचालक, म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद, म.प्र. भोपाल
14. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
15. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
17. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18. आर्डर बुक

31/1/2022

उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

//लेखीराम//

31012022

सर्वोच्च प्राथमिकता

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग,
मंत्रालय,वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 35–09 / 2020 / सी–2 / दो भोपाल, दिनांक 11 फरवरी, 2022

प्रति

समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
म.प्र.

विषय– कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।

संदर्भ– विभागीय परिपत्र कमांक एफ 35–09 / 2020 / सी–2 / दो, दिनांक 23 दिसम्बर, 2021, परिपत्र दिनांक 05 जनवरी, 2022, परिपत्र दिनांक 14 जनवरी, 2022 एवं परिपत्र दिनांक 31 जनवरी, 2022

राज्य शासन द्वारा कोविड–19 महामारी के संक्रमण की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी कोविड–19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु लगाए गए प्रतिबंधों से सम्बन्धित समस्त दिशा–निर्देश निरस्त किये जाते हैं तथा निम्नानुसार नवीन दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं –

1. प्रदेश में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा ।
2. कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जावे ।
3. जिला कलेक्टर ऐसे क्षेत्रों को, जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो, माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें ।

उपरोक्त दिशा–निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे । इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

11/2/22
(डॉ.राजेश राजौरा)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग

Desktop praga latte

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

::आदेश::

भोपाल, दिनांक 12.02.2022

क्रमांक एफ 44–4/2020/20–2:: कोविड–19 संक्रमण की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए गृह विभाग के आदेश दिनांक 11.02.2022 के परिपालन में शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन के संबंध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते हैः–

1. समस्त विद्यालय/आवासीय विद्यालय/छात्रावास कक्षा 01 से 12वीं तक की समस्त कक्षाओं के लिए शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगे।

2. समस्त विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे–मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जावे।

3. उक्त दिशा–निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
12/02/2022
(प्रमोद सिंह)
उप सचिव
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 क्र0 एफ 44–4/2020/20–2
भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, म.प्र. भोपाल
2. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल
3. उप सचिव, मुख्यसचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य/अनुसूचित जाति कल्याण/पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण/श्रम/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
6. आयुक्त, लोक शिक्षण/जनजातीय कार्य, म.प्र. भोपाल
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल
8. आयुक्त, जनसंपर्क, म.प्र. भोपाल
9. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भोपाल
10. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.
11. सचिव, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल/मदरसा बोर्ड, भोपाल
12. निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, म.प्र. भोपाल

संलग्नक-1

FORMAT OF UNDERTAKING BY PARENT/ CADET

Place.....................
Date......................

From
Mr/ Ms ____________________
Parent/ Guardian of Cadet ____________
Roll No. ____________________
Sainik School ____________________

To
Principal
Sainik School ____________
Address ____________

WILLINGNESS TO SEND WARD TO SCHOOL

Sir/ Maam,

1. I, Mr/ Mrs ____________________ am parent/ guardian of Cadet ____________ (Roll No. ______), of Class ______ studying at Sainik School ____________. I have received intimation through email/ telephone call by House Master/ Ward Boy of ____________ House that the School is opening on ____________.

2. I intend to convey to you that our ward Cadet ____________ (Roll No. ______) is keen on joining the school for the balance of the academic session. We, as parents are also willing to send our ward to school. Though we are fully confident about the precautions and safeguards which will be taken by the school administration, we, the parents/ guardian as well as our ward(s) is/ are aware of the risk and threat posed by Covid-19 infection. We assure the school administration that if my ward contracts Covid-19 during his/ her stay in the school, I or my family members shall not hold the school responsible for it or for any of its consequence. I will have no objection if my ward is expelled from the school for, at any time, not following any of the COVID-19 health safety norms as prescribed by the school,

3. I have enclosed a Certificate as proof that my ward was tested for Covid-19 on ____________ and he/ she is declared COVID-19 negative. I shall be personally responsible for the vaccination of my ward against COVID-19, as per the government regulations. I also understand that cadets living in containment zones will not be allowed to attend school.

Yours Sincerely
Sd/-
(Name of Parent/ Guardian)

(Name & Signature of Cadet)